NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAINIK JAGRAN, Rastriya Sanskaran, 25.10.2024
Page No. 6, Size:(2.92)cms X (10.48)cms.

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में हिरासत में मौत के बाद बवाल

नईदुनिया न्यूज, बलरामपुर : छत्तीसगढ़ में बलरामपुर सिटी कोतवाली थाने के शौचालय में गुरुवार दोपहर पत्नी की गुमशुदगी के मामले में संदिग्ध की फंदे पर लटकी लाश मिलने के बाद बवाल हो गया। भीड़ ने थाने का घेराव किया। इस दौरान वहां पथराव के साथ तोड़फोड़ भी की गई। भीड़ ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर टायर जलाकर प्रदर्शन भी किया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे। इलाके में बढ़ते तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर कैंप कर रहे हैं।

जानकारी के अनुसार 32 वर्षीय गुरुचंद मंडल की पत्नी 20 दिनों से लापता है। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस पति को ही संदेही मानकर उसे बुधवार को पूछताछ के लिए थाने बुलाया था। वह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था।

गुरुवार दोपहर थाने के शौचालय में वह गमछे के फंदे से लटकी हालत में पाया गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस महानिरीक्षक अंकित गर्ग ने कहा कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हिरासत में मौत की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विस्तृत निर्देश हैं। उसी के अनुरूप मामले की आगे जांच होगी।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAINIK JAGRAN, Delhi, 25.10.2024
Page No. 5, Size:(6.80)cms X (2.09)cms.

ओपन जिम उपकरण गिरने से बच्चे की मौत पर लिया संज्ञान

जासं, पश्चिमी दिल्ली: मोती नगर के पार्क में 13 अक्टूबर को चार वर्षीय बच्चे पर ओपन जिम उपकरण गिरने से मौत होने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने संज्ञान लिया है। आरोप है कि जिम उपकरण के नट-बोल्ट ढीले होने की वह से यह घटना हुई थी। आयोग की ओर से मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि पार्क के उपकरणों के रखरखाव में लापरवाही के कारण मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

CENTRAL CHRONICLE, Bhopal, 25.10.2024
Page No. 5, Size:(24.42)cms X (13.73)cms.

NHRC seeks report on child's death in Delhi park

New Delhi (UNI)

The National Human Rights Commission (NHRC) on Thursday issued notices to the Delhi Chief Secretary, the Vice-Chairman of the Delhi Development Authority (DDA), the Commissioner of the Municipal Corporation of Delhi (MCD) and the Secretary of the New Delhi Municipal Council (NDMC) following the reported death of a four-year-old boy after a part of a machine in an open-air gym fell on him in a municipality-run park in West Delhi's Moti Nagar.

Taking suo motu cognizance of the incident, the Commission asked them to submit a detailed report on the matter within four weeks.

"The authorities are also expected to inform whether any compensation has been paid to the aggrieved family," the NHRC said in an order. "The report should also include the status of the maintenance and safety audit of the swings and gym equipment, etc., installed in public parks under their jurisdiction in Delhi," it added.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAINIK BHASKAR, Barmer, 25.10.2024
Page No. 3, Size:(17.04)cms X (11.05)cms.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व राज. पुलिस के तत्वावधान में होगा दो दिवसीय कार्यक्रम

'ह्यूमन राइट्स' पर पुलिस ऑफिसर्स के कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में शामिल होंगे 40 अधिकारी

क्राइम रिपोर्टर | जयपुर

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) व राजस्थान पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में ह्यूमन राइट्स से जुड़े विषयों पर पुलिस ऑफिसर्स का दो दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम आरपीए में होगा। शुक्रवार से शुरू हो रहे कार्यक्रम में आईजी, डीआईजी व एसपी स्तर के 40 अधिकारी शामिल होंगे। अलग-अलग सत्र में मानवाधिकारों से जुड़े समसामयिक मुद्दों पर विषय विशेषज्ञ अपना प्रजेंटेशन देंगे। एडीजी सिविल राइट्स मालिनी अग्रवाल ने बताया कि इस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सेक्रेटरी जनरल भरत लाल मुख्य अतिथि होंगे और डीजीपी यूआर साहू सत्र को संबोधित करेंगे। पहले दिन पांच विशेष सत्र होंगे। पहले सत्र में एनएचआरसी सेक्रेटरी जनरल भरत लाल मानवाधिकारों के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर जानकारी देंगे। दूसरे सत्र में एनएचआरसी के डीजी-इंवेस्टिगेशन अजय भटनागर, पीएचआर एक्ट 1993, एनएचआरसी और रोल ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिवीजन इन एड्रेसिंग ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन तथा तीसरे सत्र में एनएचआरसी के रजिस्ट्रार-लॉ जोगिंदर सिंह पुलिसिंग व सुप्रीम कोर्ट के केसेज के बारे में ह्यूमन राइट्स कमीशन की गाइडलाइंस पर व्याख्यान देंगे।

- चौथे सत्र में एनएचआरसी के पूर्व सदस्य राजीव जैन, मानवाधिकार एवं न्यायशास्त्र (ज्यूरिशप्रूडेंस) और 5वें सत्र में राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान के सदस्य अशोक गुप्ता राजस्थान के संदर्भ में मानवाधिकारों के परिदृश्य के बारे में व्याख्यान देंगे।

- दूसरे दिन शनिवार को 3 सत्र होंगे। प्रथम सेशन में एनएचआरसी में डीजी (इंवेस्टिगेशन) अजय भटनागर, ह्यूमन राइट्स एंड एथिकल डिलेमा इन पुलिसिंग, एनएचआरसी के रजिस्ट्रार-लॉ जोगिंदर सिंह, आयोग में राजस्थान के प्रकरण तथा एडीजी सिविल राइट्स मालिनी अग्रवाल, ह्यूमन राइट्स ऑफ वूमन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन डोमेस्टिक वायलेंस पर अपना प्रजेंटेशन देंगे।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAINIK BHASKAR, Patna, 25.10.2024

Page No. 2, Size:(9.13)cms X (13.96)cms.

किडनी कांड : एनएचआरसी में अवमानना वाद दायर

मुजफ्फरपुर| झोलाछाप डॉक्टरों के कारण दोनों किडनी गंवाने से मरी सुनीता के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अवमानना वाद दायर किया गया है। मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा ने वाद दायर किया है। अधिवक्ता ने कहा कि सुनीता की मौत सरकार की लापरवाही का नतीजा है। आयोग ने सरकार को आदेश दिया था कि उच्च प्राथमिकता के आधार पर सुनीता की किडनी ट्रांसप्लांट कराने की दिशा में कदम उठाए। लेकिन, आयोग के आदेशों का पालन सरकार ने नहीं किया। इस कारण सुनीता को अपनी जान गंवानी पड़ी। सकरा की बरियारपुर निवासी सुनीता की मौत बीते 21 अक्टूबर को एसकेएमसीएच में हो थी। आयोग ने बीते अप्रैल में बिहार सरकार को आदेश दिया गया था कि उच्च प्राथमिकता के आधार पर सुनीता की किडनी प्रत्यारोपित करने की दिशा में कदम उठाए। अगले माह अवमाननावाद पर आयोग में सुनवाई हो सकती है। इसके बाद अधिवक्ता एसके झा स्थिति से आयोग को अवगत कराएंगे।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAINIK BHASKAR, Jaipur, 25.10.2024
Page No. 4, Size:(18.71)cms X (14.91)cms.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व राज. पुलिस के तत्वावधान में होगा दो दिवसीय कार्यक्रम

'ह्यूमन राइट्स' पर पुलिस ऑफिसर्स के कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में शामिल होंगे 40 अधिकारी

क्राइम रिपोर्टर | जयपुर

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) व राजस्थान पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में ह्यूमन राइट्स से जुड़े विषयों पर पुलिस ऑफिसर्स का दो दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम आरपीए में होगा। शुक्रवार से शुरू हो रहे कार्यक्रम में आईजी, डीआईजी व एसपी स्तर के 40 अधिकारी शामिल होंगे। अलग-अलग सत्र में मानवाधिकारों से जुड़े समसामयिक मुद्दों पर विषय विशेषज्ञ अपना प्रजेंटेशन देंगे। एडीजी सिविल राइट्स मालिनी अग्रवाल ने बताया कि इस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सेक्रेटरी जनरल भरत लाल मुख्य अतिथि होंगे और डीजीपी यूआर साहू सत्र को संबोधित करेंगे। पहले दिन पांच विशेष सत्र होंगे। पहले सत्र में एनएचआरसी सेक्रेटरी जनरल भरत लाल मानवाधिकारों के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर जानकारी देंगे। दूसरे सत्र में एनएचआरसी के डीजी-इंवेस्टिगेशन अजय भटनागर, पीएचआर एक्ट 1993, एनएचआरसी और रोल ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिवीजन इन एड्रेसिंग ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन तथा तीसरे सत्र में एनएचआरसी के रजिस्ट्रार-लॉ जोगिंदर सिंह पुलिसिंग व सुप्रीम कोर्ट के केसेज के बारे में ह्यूमन राइट्स कमीशन की गाइडलाइंस पर व्याख्यान देंगे।

- चौथे सत्र में एनएचआरसी के पूर्व सदस्य राजीव जैन, मानवाधिकार एवं न्यायशास्त्र (ज्यूरिशप्रूडेंस) और 5वें सत्र में राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान के सदस्य अशोक गुप्ता राजस्थान के संदर्भ में मानवाधिकारों के परिदृश्य के बारे में व्याख्यान देंगे।

- दूसरे दिन शनिवार को 3 सत्र होंगे। प्रथम सेशन में एनएचआरसी में डीजी (इंवेस्टिगेशन) अजय भटनागर, ह्यूमन राइट्स एंड एथिकल डिलेमा इन पुलिसिंग, एनएचआरसी के रजिस्ट्रार-लॉ जोगिंदर सिंह, आयोग में राजस्थान के प्रकरण तथा एडीजी सिविल राइट्स मालिनी अग्रवाल, ह्यूमन राइट्स ऑफ वूमन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन डोमेस्टिक वायलेंस पर अपना प्रजेंटेशन देंगे।

Child's Tragic Death Spurs NHRC Action on Moti Nagar Park Safety

https://www.devdiscourse.com/article/headlines/3133341-national-seed-congress-2023-pioneering-resilient-agriculture

The NHRC has launched an investigation following the tragic death of a four-year-old in West Delhi's Moti Nagar. A machine from an open-air gym reportedly fell on the child, triggering concerns over park equipment maintenance. Notices have been issued to relevant authorities for detailed reports.

Devdiscourse News Desk | Updated: 24-10-2024 14:44 IST | Created: 24-10-2024 14:44 IST

The National Human Rights Commission (NHRC) has intervened after the tragic death of a four-year-old boy in West Delhi's Moti Nagar. The incident occurred when a piece of equipment from an open-air gym reportedly fell on the child in a park, raising serious issues regarding equipment maintenance.

The NHRC noted that if media reports are accurate, they reflect a severe human rights violation due to alleged negligence by local authorities tasked with upkeeping public park facilities. This incident highlights potential dangers present in other publicly managed parks in Delhi.

In response, the Commission has demanded detailed reports from top officials, including the Chief Secretary of Delhi and heads of the DDA, MCD, and NDMC. These reports, expected within four weeks, should cover maintenance audits, safety measures, and any compensation for the victim's family. Police comments and investigation updates are also sought.

Concerns over NHRC's effectiveness in addressing human rights violations

https://indiatomorrow.net/2024/10/24/concerns-over-nhrcs-effectiveness-in-addressing-human-rights-violations/

By admin indiatomorrow -October 24, 2024

NEW DELHI: NGO groups – All India Network of NGOs and Individuals working with National and State Human Rights Institutions (AiNNI) and Asian NGO Network on National Human Rights Institutions (ANNI) – have criticized India's National Human Rights Commission (NHRC) for failing to effectively address human rights violations. This has been reported by the counterview.net news website.

In a submission to the Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI), the two NGOs noted that NHRC's accreditation status has not been updated since 2017, misleadingly stating that it has retained its 'A' status. This lack of transparency diminishes civil society's trust in NHRC.

The report highlighted a decline in NHRC's functionality, with ongoing vacancies and only one acting member following the resignation of its chairperson in May 2024. It accused NHRC of inaction amid serious crimes like rape and custodial violence, and of being unable to defend civil liberties in the face of new laws restricting freedoms.

Despite offers from civil society to help develop a strategic plan, NHRC has not responded to systemic violations of rights or implemented recommendations from GANHRI regarding its organizational structure and engagement with civil society. The report also criticized the lack of diverse representation within NHRC's membership and the influence of police officers in its investigative processes, which compromises impartiality.

The NHRC's current leadership has been questioned, particularly regarding the appointment process of its secretary general and the overall lack of adherence to the Paris Principles that require independence from government interference. The report underscores NHRC's failure to advocate for human rights, highlighting specific cases of detained activists and a general neglect of urgent human rights issues.

The report paints a bleak picture of NHRC's operations, suggesting it is failing to fulfill its mandate while raising concerns over governmental influence and the need for reform in addressing human rights violations in India.

Human Rights Body Takes Action After Boy, 4, Dies At Delhi's Open Air Gym

https://www.ndtv.com/delhi-news/human-rights-body-takes-action-after-boy-4-dies-at-delhis-open-air-gym-6863981

The authorities are also expected to inform whether any compensation has been paid to the aggrieved family.

Delhi NewsAsian News InternationalUpdated: October 24, 2024 5:26 pm IST

New Delhi:

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognizance of a media report that a four-year-old boy died after a part of a machine in an open-air gym fell on him in a municipality-run park in West Delhi's Moti Nagar on 13th October 2024.

Reportedly, the people present on the spot suspected that the nuts and bolts of the equipment were loose which led to the incident.

The Commission has observed that the contents of the media report, if true, raise a serious issue of violation of human rights due to alleged negligence by the authorities in the maintenance of the equipment, installed in the public park.

The incident raises serious concerns about the condition of equipment in other public parks governed, managed and maintained by the local government bodies in Delhi.

Accordingly, it has issued notices to the Chief Secretary, Government of NCT of Delhi, Vice-Chairman, Delhi Development Authority (DDA), Commissioner, Municipal Corporation of Delhi (MCD) and Secretary, New Delhi Municipal Council (NDMC) calling for a detailed report in the matter within four weeks.

The authorities are also expected to inform whether any compensation has been paid to the aggrieved family.

The report should also include the status of the maintenance and safety audit of the swings and gym equipment, etc. installed in the public parks under their jurisdiction in Delhi.

The Commission has also asked the Commissioner of Police, Delhi to submit his comments on the subject along with the status of the police investigation being conducted in the instant case.

LATESTLY, Online, 25.10.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

India News | NHRC Takes Suo Motu Cognizance of Boy's Death in Open-air Gym in Delhi

https://www.latestly.com/agency-news/india-news-nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-boys-death-in-open-air-gym-in-delhi-6366519.html

Agency News ANI| Oct 24, 2024 02:56 PM IST

Get latest articles and stories on India at LatestLY. The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognizance of a media report that a four-year-old boy died after a part of a machine in an open-air gym fell on him in a municipality-run park in West Delhi's Moti Nagar on 13th October 2024.

New Delhi [India], October 24 (ANI): The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognizance of a media report that a four-year-old boy died after a part of a machine in an open-air gym fell on him in a municipality-run park in West Delhi's Moti Nagar on 13th October 2024.Reportedly, the people present on the spot suspected that the nuts and bolts of the equipment were loose which led to the incident.

The Commission has observed that the contents of the media report, if true, raise a serious issue of violation of human rights due to alleged negligence by the authorities in the maintenance of the equipment, installed in the public park.The incident raises serious concerns about the condition of equipment in other public parks governed, managed and maintained by the local government bodies in Delhi.

Accordingly, it has issued notices to the Chief Secretary, Government of NCT of Delhi, Vice-Chairman, Delhi Development Authority (DDA), Commissioner, Municipal Corporation of Delhi (MCD) and Secretary, New Delhi Municipal Council (NDMC) calling for a detailed report in the matter within four weeks.The authorities are also expected to inform whether any compensation has been paid to the aggrieved family.

The report should also include the status of the maintenance and safety audit of the swings and gym equipment, etc. installed in the public parks under their jurisdiction in Delhi.The Commission has also asked the Commissioner of Police, Delhi to submit his comments on the subject along with the status of the police investigation being conducted in the instant case. (ANI)

NHRC issues notice to Delhi government over death of a four-year-old boy after a part of a machine in an open-air gym fell on him

https://www.thehindu.com/incoming/nhrc-issues-notice-to-delhi-government-over-death-of-a-four-year-old-boy-after-a-part-of-a-machine-in-an-open-air-gym-fell-on-him/article68791563.ece

Published - October 25, 2024 12:46 am IST - New Delhi

National Human Rights Commission (NHRC) on Thursday took suo motu cognisance of the death of a four-year-old boy in west Delhi's Moti Nagar after a part of a machine in an open-air gym fell on him in a municipality-run park.

The eyewitnesses of the incident suspect that the nuts and bolts of the equipment were loose which led to the incident.

Observing that the incident raised a serious issue of violation of human rights due to alleged negligence by the authorities in the maintenance of the equipment installed in the public park, the Commission issued notice to the Chief Secretary, Government of NCT of Delhi, Vice-Chairman, Delhi Development Authority (DDA), Commissioner of the Municipal Corporation of Delhi (MCD) and the Secretary of the New Delhi Municipal Council (NDMC), calling for a detailed report in the matter within four weeks.

The authorities are also expected to inform whether any compensation has been paid to the aggrieved family.

The report should also include the status of the maintenance and the safety audit of the swings and gym equipment installed in the public parks under their jurisdiction in Delhi. The NHRC has also asked the Commissioner of Police to submit his comments on the subject along with the status of the police investigation being conducted in the case.

NHRC Issues Notices to Delhi Police Commissioner and Chief Secretary Regarding Rescue of Child Labourers

https://www.newsx.com/india/nhrc-issues-notices-to-delhi-police-commissioner-and-chief-secretary-regarding-rescue-of-child-labourers/

The National Human Rights Commission (NHRC) on Tuesday took suo motu cognizance of a media report that 23 child labourers were rescued in the Saraswati Vihar area of North-West District, Delhi.

By Srishti Mukherjee

July 9, 2024 5:25 pm Asia/KolkataIST, Updated 4 months ago

The National Human Rights Commission (NHRC) on Tuesday took suo motu cognizance of a media report, carried on July 5, that 23 child labourers were rescued in the Saraswati Vihar area of North-West District, Delhi.

According to an official release, the children including nine girls and 14 boys were brought to Delhi from nearby states and were working in various factories.

“The Commission has observed the contents of the news report, if true, raise a serious issue of violation of the rights of the children. The Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 as amended in 2016 prohibits the employment of children under the age of 14 years in any capacity including domestic help,” the release said.

“The Act also makes it a criminal offence to employ a child as a worker/ labourer. Accordingly, it has issued notices to the Chief Secretary, Government of NCT of Delhi and the Commissioner of Police, Delhi to submit a detailed report in the matter within two weeks,” it added.

The Commission also directed the District Magistrate (DM), North West Delhi to submit a report indicating the action taken as per provisions of the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, steps taken for their rehabilitation and reunion with their respective families as well as to continue their education.

“The DM, North West Delhi is also expected to inform regarding legal action taken if any child labourer was being kept under bondage,” the release said.

Earlier also, the Commission came across such complaints/ news reports alleging violation of the Labour Laws by the owners of the factories running in various parts of the National Capital.

Given this, the Commission has also sought to know about the action taken against such delinquent employers. A survey of the NCT of the Delhi area is required to be

conducted to know if there are more industrial units where the children are being engaged as labourers and what action has been taken against them.

(Except for the headline, this story has not been edited by Newsx staff and is published from a syndicated feed.)

UNI, Online, 25.10.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

NHRC seeks report on child s death in Delhi park

https://www.uniindia.com/nhrc-seeks-report-on-child-s-death-in-delhi-park/india/news/3310910.html

New Delhi, Oct 24 (UNI) The National Human Rights Commission (NHRC) on Thursday issued notices to the Delhi Chief Secretary, the Vice-Chairman of the Delhi Development Authority (DDA), the Commissioner of the Municipal Corporation of Delhi (MCD) and the Secretary of the New Delhi Municipal Council (NDMC) following the reported death of a four-year-old boy after a part of a machine in an open-air gym fell on him in a municipality-run park in West Delhi's Moti Nagar.

Taking suo motu cognizance of the incident, the Commission asked them to submit a detailed report on the matter within four weeks."The authorities are also expected to inform whether any compensation has been paid to the aggrieved family," the NHRC said in an order.

"The report should also include the status of the maintenance and safety audit of the swings and gym equipment, etc., installed in public parks under their jurisdiction in Delhi," it added.The Commission has also asked the Delhi Police Commissioner to submit comments on the subject along with the status of the police investigation into the case.

The incident took place on October 13. Reportedly, people present at the scene suspected that the nuts and bolts of the equipment were loose, which led to the incident.

The Commission observed that if the contents of the media report are true, they raise a serious issue of human rights violations due to alleged negligence by the authorities in maintaining the equipment installed in the public park.The incident raises serious concerns about the condition of equipment in other public parks governed, managed, and maintained by local government bodies in Delhi, the NHRC said.

NHRC takes note of death of minor boy in Delhi

https://www.thestatesman.com/india/nhrc-takes-note-of-death-of-minor-boy-in-delhi-1503357340.html

The rights body issued the notices taking suo motu cognizance of a media report on the incident and sought a detailed report in the matter within four weeks.

Statesman News Service | New Delhi | October 24, 2024 7:53 pm

The National Human Rights Commission (NHRC) on Thursday issued notices to Delhi Chief Secretary, Vice-Chairman of DDA, Commissioner of MCD and Secretary of NDMC over the death of a four-year-old boy after a part of a machine in an open-air gym fell on him in a municipality-run park in West Delhi's Moti Nagar recently.

The rights body issued the notices taking suo motu cognizance of a media report on the incident and sought a detailed report in the matter within four weeks.

The NHRC said the report should also include the status of the maintenance and safety audit of the swings and gym equipment, etc installed in the public parks under their jurisdiction in the national capital.

The rights body has observed that the contents of the media report, if true, raise a serious issue of violation of human rights due to alleged negligence by the authorities in the maintenance of the equipment installed in the public park.

The NHRC said the incident raises serious concerns about the condition of equipment in other public parks governed, managed and maintained by the local government bodies in Delhi.

The rights body has also asked the Delhi Police Commissioner to submit his comments on the subject along with the status of the police investigation being conducted in the instant case.

IN SAMACHAR, Online, 25.10.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

NHRC ने दिल्ली के मोती नगर में नगर निगम द्वारा संचालित पार्क में चार वर्षीय बच्चे की कथित मौत के मामले का स्वत: संज्ञान लिया

https://insamachar.com/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-alleged-death-of-a-four-year-old-child-in-a-municipal-park-in-delhis-moti-nagar/

Editor Posted on24 अक्टूबर 2024

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने 13 अक्टूबर, 2024 को पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर में नगर निगम द्वारा संचालित पार्क में एक ओपन-एयर जिम में मशीन का एक हिस्सा गिरने से चार वर्षीय बच्चे की मृत्यु मामले में एक मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है। मौके पर उपस्थित लोगों ने उपकरण के नट-बोल्ट ढीले होने के कारण दुर्घटना होने की आशंका व्यक्त की थी।

आयोग ने पाया है कि मीडिया रिपोर्ट यदि सत्य है, तो सार्वजनिक पार्क में स्थापित उपकरणों की देखभाल में अधिकारियों द्वारा कथित लापरवाही के कारण मानवाधिकारों के उल्लंघन का यह एक गंभीर विषय है। यह घटना दिल्ली में स्थानीय सरकारी निकायों द्वारा शासित, प्रबंधित और रखरखाव किए जाने वाले अन्य सार्वजनिक पार्कों में उपकरणों की स्थिति के बारे में गंभीर चिंताएँ पैदा करती है। आयोग ने मुख्य सचिव, एनसीटी दिल्ली सरकार, उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), आयुक्त, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और सचिव, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अधिकारियों से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने संबंधी जानकारी भी मांगी गई है।

रिपोर्ट में अधिकारियों से दिल्ली में उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक पार्कों में लगे झूलों और जिम उपकरणों आदि के रखरखाव और सुरक्षा ऑडिट की स्थिति भी मांगी गई है। आयोग ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से इस विषय पर अपनी टिप्पणी देने के साथ ही इस मामले में की जा रही पुलिस जांच की स्थिति भी बताने को कहा।

NHRC ने दिल्ली में ओपन-एयर जिम में लड़के की मौत का स्वतः संज्ञान लिया

https://jantaserishta.com/delhi-ncr/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-boys-death-at-open-air-gym-in-delhi-3603611

24 Oct 2024 3:01 PM

New Delhi नई दिल्लीः राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है जिसमें बताया गया है कि 13 अक्टूबर 2024 को पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर में नगरपालिका द्वारा संचालित पार्क में एक ओपन-एयर जिम में मशीन का एक हिस्सा गिरने से चार वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। कथित तौर पर, मौके पर मौजूद लोगों को संदेह था कि उपकरण के नट और बोल्ट ढीले थे, जिसके कारण यह घटना हुई। आयोग ने पाया है कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री, यदि सत्य है, तो सार्वजनिक पार्क में स्थापित उपकरणों के रखरखाव में अधिकारियों द्वारा कथित लापरवाही के कारण मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक गंभीर मुद्दा उठाती है।

यह घटना दिल्ली में स्थानीय सरकारी निकायों द्वारा शासित, प्रबंधित और रखरखाव किए जाने वाले अन्य सार्वजनिक पार्कों में उपकरणों की स्थिति के बारे में गंभीर चिंता पैदा करती है। तदनुसार, इसने मुख्य सचिव, एनसीटी दिल्ली सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के आयुक्त और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के सचिव को नोटिस जारी कर चार सप्ताह

अधिकारियों से यह भी बताने की उम्मीद है कि क्या पीड़ित परिवार को कोई मुआवजा दिया गया है।रिपोर्ट में दिल्ली में उनके अधिकार क्षेत्र के तहत सार्वजनिक पार्कों में लगाए गए झूलों और जिम उपकरणों आदि के रखरखाव और सुरक्षा ऑडिट की स्थिति भी शामिल होनी चाहिए।आयोग ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त को इस विषय पर अपनी टिप्पणी देने के साथ-साथ तत्काल मामले में की जा रही पुलिस जांच की स्थिति भी बताने को कहा है। (एएनआई)

Rights panel takes cognisance of 4-year-old's death in open-air gym in Delhi

https://www.tribuneindia.com/news/delhi/nhrc-takes-cognisance-of-4-year-olds-death-in-open-air-gym-in-delhi

Asks authorities to submit detailed report within four weeks

New Delhi, Updated At : 03:09 PM Oct 24, 2024 IST

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of a media report that a four-year-old boy died after a part of a machine in an open-air gym fell on him in a municipality-run park in West Delhi's Moti Nagar on October 13.

People present on the spot reportedly suspected that the nuts and bolts of the equipment were loose, which led to the incident.

The commission observed that the contents of the media report, if true, raised a serious issue of violation of rights due to the alleged negligence by the authorities in the maintenance of the equipment installed in the public park.

The incident raises serious concerns about the condition of equipment in other public parks governed, managed and maintained by the local government bodies in Delhi.

Accordingly, it has issued notices to the Chief Secretary, Government of NCT of Delhi; Vice-Chairman, Delhi Development Authority (DDA); Commissioner, Municipal Corporation of Delhi (MCD); and Secretary, New Delhi Municipal Council (NDMC), calling for a detailed report in the matter within four weeks.

The authorities are also expected to inform whether any compensation has been paid to the aggrieved family. The report should also include the status of the maintenance and safety audit of the swings and gym equipment, etc., installed in the parks under their jurisdiction in Delhi.

The commission has also asked the Commissioner of Police to submit his comments on the subject along with the status of the police investigation being conducted in the case.

ओपन एयर जिम में मशीन के गिरने से चार वर्षीय बच्चे की मृत्यु के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया

https://www.newsonair.gov.in/hi/%E0%A4%93%E0%A4%AA%E0%A4%A8-%E0%A4%8F%E0%A4%AF%E0%A4%B0-%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%AE-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A4%B6%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%97%E0%A4%BF%E0%A4%B0/

Site Admin | अक्टूबर 24, 2024 7:13 अपराह्न | NHRC

पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर इलाके में नगर निगम द्वारा संचालित ओपन एयर जिम में मशीन के गिरने से चार वर्षीय बच्चे की मृत्यु के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग-**एनएचआरसी** ने संज्ञान लिया है।

आयोग ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव, एनसीटी दिल्ली सरकार, उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), आयुक्त, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और सचिव, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

इसके अलावा आयोग ने अधिकारियों से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने संबंधी जानकारी का ब्यौरा देने को भी कहा है। आयोग ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से इस घटना पर अपनी टिप्पणी देने के साथ ही पुलिस जांच की स्थिति बताने को कहा है।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

INVENTIVA, Online, 25.10.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

चार वर्षीय बच्चे की मौत के मामले में मुख्य सचिव को नोटिस

https://hi.investing.com/news/general-news/article-322389

प्रकाशित 24/10/2024, 11:16 pm

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर (आईएएनएस)। **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी**) ने दिल्ली में चार वर्षीय एक बच्चे की मृत्यु के मामले का संज्ञान लिया है। बच्चे की मृत्यु इसी महीने 13 अक्टूबर को पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर में हुई थी। यहां नगर निगम द्वारा संचालित पार्क में एक ओपन-एयर जिम में मशीन का एक हिस्सा गिरने से बच्चे की मृत्यु हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुताबिक उसने मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली के मुख्य सचिव और नगर निगम के कमिश्नर को नोटिस जारी किया गया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुताबिक घटना स्थल पर उपस्थित लोगों ने पार्क में लगे उपकरण के नट-बोल्ट ढीले होने के कारण दुर्घटना होने की आशंका व्यक्त की थी। आयोग ने पाया है कि मीडिया रिपोर्ट यदि सत्य है, तो सार्वजनिक पार्क में स्थापित उपकरणों की देखभाल में अधिकारियों द्वारा कथित लापरवाही के कारण मानवाधिकारों के उल्लंघन का यह एक गंभीर विषय है।

आयोग का कहना है कि यह घटना दिल्ली में स्थानीय सरकारी निकायों द्वारा शासित, प्रबंधित और रखरखाव किए जाने वाले अन्य सार्वजनिक पार्कों में उपकरणों की स्थिति के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करती है।

आयोग ने एनसीटी दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के आयुक्त और सचिव, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) को नोटिस जारी किया है। इन सभी से चार सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।

अधिकारियों से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने संबंधी जानकारी भी मांगी गई है। रिपोर्ट में अधिकारियों से दिल्ली में उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक पार्कों में लगे झूलों और जिम उपकरणों आदि के रखरखाव और सुरक्षा ऑडिट की स्थिति भी मांगी गई है।

आयोग ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से इस विषय पर अपनी टिप्पणी देने के साथ ही इस मामले में की जा रही पुलिस जांच की स्थिति भी बताने को कहा है। इससे पहले आयोग ने दिल्ली में नाले में गिरने से हो रही लोगों की मौत पर भी रिपोर्ट मांगी थी।

दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक खुले नाले में गिरने से पांच वर्षीय एक बच्चे की मौत हो गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने इस घटना का स्वत: संज्ञान लिया था। यहां निर्माण कार्य के ठेकेदार ने बिना कोई चेतावनी संकेत लगाए नाली को जगह-जगह खुला छोड़ दिया था। आयोग ने पाया है कि हाल के दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में यह ऐसी पांचवीं ऐसी घटना थी।

मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के पार्क में बच्चे की मौत पर नोटिस जारी किया

https://live7tv.com/2024/10/24/%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2/

Last updated: October 24, 2024 6:30 pm

नयी दिल्ली,24 अक्टूबर (लाइव 7**) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** ने पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर में नगर निगम संचालित पार्क में खुले में चलने जिम में मशीन का एक हिस्सा गिरने से चार वर्षीय बच्चे की मौत की घटना पर दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के आयुक्त और नयी दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) के सचिव को गुरुवार को नोटिस जारी किया।

आयोग ने घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए चार सप्ताह के भीतर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

INDIA TOMORROW, Online, 25.10.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों से निपटने में NHRC पर उठे सवाल, आयोग ने किया खारिज

https://hindi.indiatomorrow.net/2024/10/24/concerns-over-nhrcs-effectiveness-in-addressing-human-rights-violations/

इंडिया टुमारो Updated: 17 hours ago

नई दिल्ली | एनजीओ समूह – ऑल इंडिया नेटवर्क ऑफ एनजीओ एंड इंडिविजुअल्स (AiNNI) और एशियन एनजीओ नेटवर्क ऑन नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस (ANNI) के साथ काम करने वाले व्यक्तियों ने मानवाधिकारों के उल्लंघन को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में विफल रहने के लिए भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की आलोचना की है. इस बात की जानकारी counterview.net न्यूज़ वेबसाइट ने दी है.

हालांकि, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए "निहित स्वार्थों के कारण NHRC को निशाना बनाए जाने" की बात कही है, और इसे दुनिया की नज़रों में "देश की प्रतिष्ठा को कम करने का प्रयास" बताया है.

ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस (GANHRI) को दिए एक प्रस्ताव में दोनों एनजीओ ने कहा है कि NHRC की मान्यता स्थिति को 2017 से अपडेट नहीं किया गया है. पारदर्शिता की यह कमी NHRC में नागरिक समाज के विश्वास को कम करती है।

रिपोर्ट में NHRC की कार्यक्षमता में गिरावट पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें मई 2024 में इसके अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद से रिक्तियां जारी हैं और केवल एक कार्यवाहक सदस्य है. इसने NHRC पर बलात्कार और हिरासत में हिंसा जैसे गंभीर अपराधों के बीच निष्क्रियता और स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाले नए कानूनों के सामने नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करने में असमर्थ होने का आरोप लगाया है.

एक रणनीतिक योजना विकसित करने में मदद करने के लिए नागरिक समाज के प्रस्तावों के बावजूद, NHRC ने अधिकारों के व्यवस्थित उल्लंघन का जवाब नहीं दिया है या अपनी संगठनात्मक संरचना और नागरिक समाज के साथ जुड़ाव के बारे में GANHRI की सिफारिशों को लागू नहीं किया है.

रिपोर्ट में NHRC की सदस्यता के भीतर प्रतिनिधित्व की कमी और इसकी जांच प्रक्रियाओं में पुलिस अधिकारियों के प्रभाव की भी आलोचना की गई है, जो निष्पक्षता से समझौता करता है.

इस रिपोर्ट में NHRC के वर्तमान नेतृत्व पर सवाल उठाए गए हैं, विशेष रूप से इसके महासचिव की नियुक्ति प्रक्रिया और पेरिस सिद्धांतों के पालन की कमी के बारे में, जिसके लिए सरकारी हस्तक्षेप से स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है.

रिपोर्ट, मानवाधिकारों की वकालत करने में NHRC की विफलता को रेखांकित करती है, हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं के विशिष्ट मामलों और तत्काल मानवाधिकार मुद्दों की सामान्य उपेक्षा को भी उजागर करती है.

यह रिपोर्ट NHRC के संचालन की एक निराशाजनक तस्वीर पेश करती है, साथ ही यह सुझाव भी देती है कि यह अपने जनादेश को पूरा करने में विफल हो रही है, जबकि सरकारी प्रभाव और भारत में मानवाधिकार उल्लंघनों को संबोधित करने में सुधार की आवश्यकता पर गंभीर चिंता व्यक्त किया गया है.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा है कि, निहित स्वार्थों के कारण NHRC को निशाना बनाया जा रहा है और विश्व समुदाय की नज़रों में देश की प्रतिष्ठा को कम करने का प्रयास किया जा रहा है.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जारी बयान में कहा है कि NHRC को मानवाधिकार संगठन के रूप में अपनी विश्वसनीयता के लिए "ए" मान्यता का दर्जा प्राप्त है.

बयान में कहा गया है कि, "एनएचआरसी, इंडिया अपने एनजीओ के कोर ग्रुप की बैठकों का आयोजन पहले से कहीं अधिक बार करता है, भले ही उनसे कोई खास प्रतिक्रिया न मिली हो. आयोग मानवाधिकार रक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठा रहा है, जिनमें ज्यादातर नागरिक समाज के सक्रिय सदस्य शामिल हैं, और उनके लिए एक केंद्र बिंदु स्थापित किया है"

NHRC द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि, "यह अजीब है कि AiNNI के पीछे और एनएचआरसी, इंडिया की आलोचना करने वाले लोग भी इसके एनजीओ के कोर ग्रुप के सदस्य हैं. उनसे बार-बार राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्य योजना के लिए योगदान देने के लिए कहा गया है, जिस पर एनएचआरसी, इंडिया काम कर रहा है, लेकिन उनमें से किसी ने भी कोई योगदान नहीं दिया."

बयान में आगे कहा गया है कि, "कई मौकों पर एनएचआरसी, इंडिया से निमंत्रण के बावजूद, ये एनजीओ कई महत्वपूर्ण मानवाधिकार मुद्दों पर इसके राष्ट्रीय स्तर के सेमिनारों, कार्यशालाओं और परामर्शों में शामिल होने में विफल रहे. इससे पता चलता है कि वे केवल एनएचआरसी, इंडिया की आलोचना करने में रुचि रखते हैं ताकि जनता की धारणा और उसमें विश्वास को विकृत किया जा सके."

मोती नगर में चार वर्षीय बच्चे की कथित मौत के मामले में NHRC ने पुलिस प्रशासन से मांगी रिपोर्ट

https://royalbulletin.in/nhrc-seeks-report-from-police-administration-in-case-of-alleged-death-of-four-year-old-child-in-moti-nagar/243960

https://www.hindusthansamachar.in/Encyc/2024/10/24/NHRC-sought-a-report-from-the-police-administratio.php

ByROYAL BULLETIN NEWS October 24, 2024

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर में नगर निगम द्वारा संचालित पार्क में ओपन-एयर जिम में मशीन के एक हिस्सा गिरने से चार वर्षीय बच्चे की कथित मौत के मामले का स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने अन्य सार्वजनिक पार्कों में उपकरणों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए, दिल्ली के मुख्य सचिव, डीडीए उपाध्यक्ष, एमसीडी आयुक्त और एनडीएमसी सचिव को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ दिल्ली पुलिस आयुक्त से पुलिस जांच की स्थिति के बारे में भी जानकारी और टिप्पणी मांगी गई है। आयोग ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

एनएचआरसी ने 13 अक्टूबर को पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर में नगर निगम द्वारा संचालित पार्क में एक ओपन-एयर जिम में मशीन का एक हिस्सा गिरने से चार वर्षीय बच्चे की मृत्यु मामले में एक मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है। मौके पर उपस्थित लोगों ने उपकरण के नट-बोल्ट ढीले होने के कारण दुर्घटना होने की आशंका व्यक्त की थी।

आयोग के मुताबिक, यदि मीडिया रिपोर्ट सत्य है तो सार्वजनिक पार्क में स्थापित उपकरणों की देखभाल में अधिकारियों द्वारा कथित लापरवाही के कारण मानवाधिकारों के उल्लंघन का यह एक गंभीर विषय है। यह घटना दिल्ली में स्थानीय सरकारी निकायों द्वारा शासित, प्रबंधित और रखरखाव किए जाने वाले अन्य सार्वजनिक पार्कों में उपकरणों की स्थिति के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करती हैं।

JANTA SE RISHTA, Online, 25.10.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं का प्रतिनिधिमंडल NHRC अध्यक्ष से मिला

https://jantaserishta.com/local/jammu-and-kashmir/delegation-of-displaced-kashmiri-hindus-meets-nhrc-chairman-3604407

24 Oct 2024 8:35 PM

JAMMU जम्मू: विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज यहां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग National Human Rights Commission (एनएचआरसी) की अध्यक्ष विजया भारती सियानी से आयोग के महानिदेशक जांच अजय भटनागर की मौजूदगी में मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संजीवनी शारदा केंद्र के अध्यक्ष डॉ. एम.के. भरत ने किया और 13 मांगों वाला एक ज्ञापन सौंपा। इन मांगों में आतंकवादियों द्वारा मारे गए कश्मीरी हिंदुओं के लिए न्याय, कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को मान्यता देना, सम्मान और सुरक्षा के साथ उनकी जन्मभूमि पर वापसी, पुनर्वास, मंदिरों और तीर्थ स्थलों का पुनर्निर्माण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, रोजगार पैकेज, कश्मीर में तैनात कर्मचारियों की सुरक्षा, कश्मीर में तैनात कर्मचारियों के लिए उपयुक्त आवास, केपी युवाओं के लिए कौशल विकास योजनाएं, संपत्ति की बिक्री बंद की जानी चाहिए और शारदा माता मंदिर कॉरिडोर खोलना शामिल हैं। एनएचआरसी अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि समुदाय की मांगों को संबंधित पक्षों को सकारात्मक रूप से अनुशंसित किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में शिबन खैबारी, विकास रैना, प्यारे लाल भट, संदीप पंडिता और महाराज कृष्ण भट Maharaj Krishna Bhat शामिल थे।